आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-I) का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS (IMPORT-I)

नवीन सीमाशुल्क भवन, बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई-400001.

NEW CUSTOM HOUSE, BALLARD ESTATE, MUMBAI–400001.

फोन- 02222757717, मेल- hindimumbaizone1@gmail.com

दिनांक: 26-05-2026

(अप्रैल से जून-2026 की तिमाही, 63वीं बैठक)

विषयः- राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

Subject: The minutes of the meeting of Official Language Implementation Committee (OLIC)

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक, दिनांक 29-04-2026 को शाम 04:00 बजे श्री प्रद्युम्न त्रिपाठी, आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-I) की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण इस प्रकार है।

क्रमांक	अधिकारीगण के नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पदनाम	आयुक्तालय/विभाग
01	दीपिका कार्तिक तांगड़कर	अपर आयुक्त	आयात–I
02	अर्शदीप सिंह	संयुक्त आयुक्त	आयात–I/राजभाषा
03	प्रवीण कुमार	संयुक्त आयुक्त (यथास्थाने-In Situ)	आयात-I
04	अजय कुमार टाडिया	उप आयुक्त	आयात–I
05	कृष्णा नाईक	उप आयुक्त	आयात–I
06	कीर्तिकुमार एन. परमार	सहायक आयुक्त	आयात–I/राजभाषा
07	ए. जी. क्षीरसागर	सहायक आयुक्त	आयात–I
08	जोशी मनीष दिनकर	सहायक आयुक्त	आयात–I
09	चंद्रु राजपाल	मूल्यांकक	आयात-I

अध्यक्ष महोदय की अनुमति के उपरांत सदस्य सचिव श्री कीर्तिकुमार एन. परमार, सहायक आयुक्त/राजभाषा ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही आरंभ की। बैठक का मिनट दर मिनट वृत्तांत इस प्रकार है।

2-OLIC की पिछली बैठक (20.01.2026) में लिए गए निर्णयों के अनुपालन की स्थिति:

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) पिछली बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। इन निर्णयों पर की गई कार्रवाई का विवरण निम्नलिखित है।

2.1-हिन्दी टिप्पणी की प्रतिशतता

पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में हिन्दी टिप्पणियों की प्रतिशतता बढ़ाने के लिए एक कार्यालय नोट (फाइल संख्या GEN/HIN/9/48/2022-A/M; दिनांक 12.03.2026) जारी कर दिया गया है।

(अनुपालन पूर्ण)

2.2-राजभाषा रोस्टर

पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में कार्मिकों के हिन्दी में कार्यसाधक एवं प्रवीणता स्तर के ज्ञान का पता करने के लिए एवं इससे संबंधित राजभाषा रोस्टर तैयार करने के लिए परिपत्र के माध्यम से एक गूगल शीट परिचालित किया गया था। इस गूगल शीट के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों से राजभाषा रोस्टर तैयार किया गया है।

(अनुपालन पूर्ण)

2.3-राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के तहत व्यक्तिशः आदेश जारी करना

पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में हिन्दी में प्रवीणता प्रात अधिकारियों/कार्मिकों को हिन्दी में शत-प्रतिशत कार्य करने के लिए व्यक्तिशः आदेश जारी किया जा चुका है।

(अनुपालन पूर्ण)

3-वर्तमान बैठक में लिए गए निर्णय

वर्तमान बैठक में समिति द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया तथा उन पर लिए गए निर्णयों का विवरण इस प्रकार है।

3.1-हिन्दी टिप्पणी की समीक्षा

चूंकि कार्यालय की हिन्दी टिप्पणी की प्रतिशतता निर्धारित लक्ष्य से कम पाई गई ; अतः अध्यक्ष महोदय ने सभी को निर्देश दिए कि हिन्दी टिप्पणी की प्रतिशतता बढ़ाई जाए। यह किसी भी हाल में 55% से कम नहीं होनी चाहिए। हिन्दी टिप्पणी बढ़ाने हेतु हर संभव प्रयास किए जाएं। इसके लिए समय-समय पर आदेश भी जारी किया जाए।

(कार्यवाही: समस्त अनुभाग)

3.2-धारा 3(3) का द्विभाषीकरण

यह निर्णय लिया गया कि राजभाषा अधिनियम 1963 के धारा 3(3) के दस्तावेजों जैसे सामान्य आदेशों, अधिसूचना, करार, संकल्प, अनुज्ञप्ति, संविदा आदि को अनिवार्य रूप से द्विभाषी में अर्थात हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में जारी किया जाए।

(कार्यवाही: समस्त अनुभाग)

3.3-वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों पर विमर्श

बैठक में निर्णय लिया गया कि वार्षिक कार्यक्रम 2026-27 में हिन्दी के प्रयोग के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार काम किया जाए। टिप्पणियों एवं मसौदों में हिन्दी का ज्यादा प्रयोग किया जाए। हिन्दी कार्यों की मात्र बढ़ाने के लिए ई-ऑफिस में मौजूद ट्रांस्लेट बटन एवं क्विक नोटिंग तथा गूगल ट्रांस्लेट का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जाए।

(कार्यवाही: समस्त अनुभाग)

3.4-अन्य बिन्दु/सुझाव

बैठक में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिए गए निर्देशों पर भी प्रकाश डाल गया। अध्यक्ष महोदय ने सभी को निर्देश दिए कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिए गए निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाए।

अंत में सदस्य सचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।
इसे आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-I) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Digitally signed by
Kirtikumar Parmar
Date: 26-05-2026
18:00:02

(कीर्तिकुमार एन. परमार)
सहायक आयुक्त सीमाशुल्क (आयात-I)/राजभाषा

प्रतिलिपि:-

1-मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सादर सूचनार्थ।
2-आयुक्त (आयात-I), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सादर सूचनार्थ।
3-समस्त अपर/संयुक्त आयुक्त (आयात-I), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
4-समस्त उप/सहायक आयुक्त (आयात-I), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
5-मुख्य लेखाधिकारी (आयात-I), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
6-समस्त अनुभाग (आयात-I), सीमाशुल्क मुंबई, अंचल-I को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ।
7-सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ।
8-सहायक निदेशक/राजभाषा, DGPM, नई दिल्ली, को अनुपालन रिपोर्ट के रूप में प्रेषित। (म.सं.-2)
9-ईडीआई अनुभाग, वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।